न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 38/21 प्रार्थना पत्र

अनवान प्रकरण

1–पिन्टु पुत्र सांवर लाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शारदा पत्नि सांवरलाल बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल हाल 07 एफ–11 आजाद नगर भीलवाड़ा
2–मोहित पुत्र सांवर लाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शारदा पत्नि सांवरलाल बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल हाल 07 एफ–11 आजाद नगर भीलवाड़ा
3–शारदा पत्नि सांवरलाल बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल हाल 07 एफ–11 आजाद नगर भीलवाड़ा
———प्रार्थीगण

बनाम

1–रामेश्वर पिता केला बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
2–सोनी पुत्री केला बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
3–सांवरलाल पिता रामेश्वर बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4–ओमप्रकाश पिता रामेश्वर बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–नानू पत्नि प्रताप बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
6–पप्पू पिता प्रताप बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
7–गोपी पिता सूरजमल बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
8–गोपी दत्तक पुत्र गिरधारी बलाई निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
9–हीरा पिता कालू गुर्जर निवासी बेरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
11–उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
———अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र बाबत– अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण– श्री शिवसिंह चारण एवं रोशनलाल रेगर
वकील अप्रार्थी सं0 1–श्री सूरज सनाढ्य

———

आदेश दिनांक 12-7-2022

प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि उक्त अनवान का एक वादपत्र प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो ठोस एवं मजबूत आधारों पर होकर अवश्य ही प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु सुनवाई में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–स्व0 केला फौत केला के पुत्र रामेश्वर व पुत्री सोनी हुए। रामेश्वर के विपक्षी सावरलाल व ओमप्रकाश पुत्र व श्यामु, लीला, माया पुत्रियां हुई। सांवरमल के शारदा पत्नि व पिन्टु व मोहित पुत्र हुए जो प्रार्थीगण है। रामेश्वर की पुत्रियां श्यामु, लीला, माया ने अपने विवाह के समय अपना हिस्सा प्राप्त कर लिए जाने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

2–यह कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम बेरा पटवार हल्का गेगास भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल लुहारिया तहसील मांडल के खाता संख्या 280 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 में (भाग 01) आ0नं0 223 रकबा 1.0749 हैक्टर, आ0नं0 224 रकबा 0.2909 हैक्टर, आ0नं0 244/1 रकबा 0.0759 हैक्टर कुल कीता 3 कुल रकबा 1.4417 हैक्टर, खाता संख्या 220 (भाग 02)में आ0नं0 212 रकबा 0.8347 हैक्टर, खाता संख्या 221 (भाग 03)में आ0नं0 259 रकबा 0.0253 हैक्टर, खाता संख्या 101 (भाग

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

04)में आ0नं0 233/1 रकबा 0.0126 हैक्टर, आ0नं0 234 रकबा 0.0253 है0, आ0नं0 235 रकबा 0.0253 है0, आ0नं0 236 रकबा 0.0253 है, आ0नं0 237/1 रकबा 0.0126 है0, आ0नं0 238/2 रकबा 0.0506 है0, आ0नं0 240/2 रकबा 0.0253 है0 कुल कीता 7 कुल रकबा 0.1770 हैक्टर, खाता सख्या 223 (भाग 05)में आ0नं0 225 रकबा 0.2529 हैक्टर, आ0न0 226 रकबा 0.0379 है0, आ0नं0 228/1 रकबा 0.0126 है0, आ0नं0 229 रकबा 0.1518 है0, आ0नं0 233 रकबा 0.0632 है0, आ0नं0 237 रकबा 0.1897 है0, आ0नं0 238/1 रकबा 0.0253 है0, आ0नं0 239/1 रकबा 0.0253 है0 कुल कीता 8 कुल रकबा 0. 7587 हैक्टर, खाता संख्या 222 (भाग 06)में आ0नं0 1153/221 रकबा 0.2529 है0, आ0नं0 1214/221 रकबा 0.5059 है0, आ0नं0 217 रकबा 0.2150 है0, आ0नं0 218 रकबा 0.3415 है0, आ0नं0 219 रकबा 0.3415 है0, आ0नं0 220 रकबा 0.4426 है0, आ0नं0 257 रकबा 0.1012 है0, आ0नं0 261 रकबा 0.3035 है0 कुल कीता 8 कुल रकबा 2.5041 हैक्टर उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक होने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे के अनुसार प्रार्थीया सायरी विपक्षी रामेश्वर के पुत्र सांवरलाल की विवाहिता पत्नि है तथा प्रार्थी संख्या 01 व 02 सांवरलाल के पुत्र व विपक्षी रामेश्वर के पौत्र होने से वादवर्णित आराजीयात में जन्म से हक एवं अधिकार है।

3– यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का उनके दादा विपक्षी रामेश्वर के हक हिस्से में से भाग संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 2/18, भाग संख्या 02 में 2/9 हिस्सा, भाग संख्या 03 में 2/36 हिस्सा व भाग संख्या 04 में 2/36 हिस्सा, भाग संख्या 05 में 1/6 हिस्सा तथा भाग संख्या 06 में 1/6 हक हिस्सा है परन्तु विपक्षी संख्या 01 उपरोक्त पैतृक जायदाद से प्रार्थीगण को वंचित/महरूम करने के अपने नाम पर होने का अनुचित फायदा उठाकर विक्रय करने पर आमादा है। उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण रिये माता अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । दिनांक 01.02.2021 को विपक्षी संख्या 01 मौके पर खरीददाद व्यक्ति को लाकर सम्पूर्ण आराजीयात को विक्रय करने के लिए कहा जिस पर प्रार्थीगण ने जरिये माता मना करने पर प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच की और धमकाया कि वो अपने नाम पर उक्त कृषि आराजी दर्ज होने का उपयोग करते हुए जायदाद को बेचकर पैसा हड़प लेगा । यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को किसी अन्य को रहन विक्रय , हस्तान्तरा कर देगें व आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि अवपक्षीगण प्रार्थीगण को ववादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें व नहीं किसी अन्य से करावे।

4–अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधा विपक्षीगण को पाबन्द फरमया जावे कि अवपक्षीगण प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे व प्रार्थी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करे व नहीं किसी अन्य से करावे एवं विपक्षी संख्या 10 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे वं विपक्षी संख्या 11 इस आराजीयात के सम्बन्ध में कोइ भी दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करे।

5–प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत किए जाने पर वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुनते हुए वादोक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय/विनिमय नहीं करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 09 के विरूद्ध दिनांक 27.08.21 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 4 के विरूद्ध दिनांक 07.06.2022 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित सजरे मे मुख्य पुरूष के रूप में विपक्षी संख्या 01 जवाबदाता को दर्शाया गया है इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैतृकता व विरासत का निर्धारण अभी नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक मुख्य पुरूष दादा व पिता जिन्दा है तब तक पौत्र की विरासत निश्चित नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 04 में 02 में अंकित सजरे में विभिन्नता है। उपरोक्त चरण में श्रीमती सायरी को सांवरलाल की विवाहित पत्नि बता रखा है जबकि चरण संख्या 02 के सजरे में सांवरमल की विवाहिता पत्नि शारदा है और वादपत्र/प्रार्थनापत्र के मुख्य शीर्षक पर भी शारदा अंकित है। इस प्रकार वाद प्रस्तुतकर्ता

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

वादीया/प्रार्थीया कौन है यह भी निश्चित नहीं हो पा रहा है तो वही किस प्रकार से वादी संख्या 01 व 02 की विधिक संरक्षक है। जबकि प्रार्थना पत्र में स्वयं स्वीकार कर रही है कि सांवर की पत्नि का नाम सायरी है। इस कारण प्रार्थी सं0 01 व 02 के पिता जीवित है ऐसी स्थिति में इनका जन्म से हक हिस्सा होने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रार्थी सं0 03 किस प्रकार संरक्षक बनकर हक हिस्सा चाह रही है।जब तक प्रार्थीया के पति व विपक्षी संख्या 01 व 02 के पिता जीवित है तब तक विपक्षीगणों को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण का कथन है कि वे हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं, निहायत ही मिथ्या कथन अंकित किया है क्योंकि जब तक विपक्षी संख्या 01 जवाबदाता के नाम पर व उसके हक हिस्से में स्वयं की जायदाद है जब तक किसी भी व्यक्ति का कोई हक व कब्जा नहीं हो सकता । प्रार्थीगण विपक्षी सं0 01 जवाबदाता के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

6—हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी । बहस में वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात पैतृक होकर हम प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने से वह इसका फायदा उठाकर अन्य को विक्रय, रहन बय व अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। पैतृक होने एवं मौके पर कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है इसके लिए वादवर्णित आराजीयात की केला के नाम की जमाबन्दियां प्रस्तुत की है। इस प्रकार सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी सं0 01 व 02 के दादा व पिता के जीवित होते हुए बिना विरासत के प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। वादोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है न ही मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी तरह से सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे।

7—उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों व प्रार्थनापत्र व जवाब में अंकित तथ्यों तथा प्रार्थनापत्र में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन पश्चात तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में आ0नं0 225—226लगायत 229, 233 लगायत 242 व 258 कुल कीता 16 कुल रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा केला पिता सूरजमल बलाई का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी से दर्ज थी। इसी प्रकार खाता संख्या 31 में दर्ज आ0नं0 259 रकबा 0.02बिस्वा गेमु0 चाह अन्य सहखातेदारों के साथ केला पिता सूरजमल का नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज था। खाता संख्या 32 में आ0नं0 1214/221 रकबा 2 बीघा केला पिता सूरजमल बलाई सा0 देह के नाम दर्ज था। खाता संख्या 33 में आ0नं0217 से लगायत 220, 257, 261 व 1153/221 कीता 7 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा केला पिता सूरजमल बलाई सा0देह के नाम खातेदारी से दर्ज थी। केला के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 962 दिनांक 24.02.2010 को विरासत से खाता रामेश्वर पिता केला व लादी बेवा केला का नाम उक्त सभी आराजीयात में संयुक्त रूप से दर्ज होना प्रस्तुत जमाबन्दियों से जाहिर आया। ग्राम बेरा की वर्तमान नकल जमाबन्दीं सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 222 में आ0नं0 1153/221, 1214/221, 217 से 220, 257, 261 कुल कीता 8 कुल रकबा 2.5041 हैक्टर रामेश्वर पिता केला 3/4 बलाई व सोनी पुत्री केला 1/4 बलाई के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बेरा की वर्तमान नकल जमाबन्दीं सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 101 में आ0नं0 233/1, 234 से 236, 237/1, 240/2 कुल कीता 7 कुल रकबा 0.1770 हैक्टर अन्य सहखातेदारों के साथ रामेश्वर पिता केला 1/4 व सोनी पुत्री केला 1/12 बलाई सा0देह दर्ज है। ग्राम बेरा की वर्तमान नकल जमाबन्दीं सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 280 में आ0नं0 223, 224, 244/1 कीता 3 कुल रकबा 1.4417 हैक्टर रामेश्वर पिता केला 1/2 बलाई व हीरा पिता कालू 1/2 गुर्जर के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। ग्राम बेरा की वर्तमान नकल जमाबन्दीं सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 221 में आ0नं0 259

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

रकबा 0.0253 हैक्टर अन्य सहखातेदारों के साथ रामेश्वर पिता केला 1/4 व सोनी पुत्री केला 1/12 बलाई सा0देह दर्ज है। ग्राम बेरा की वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 220 में आ0नं0 212 रकबा 0.8347 हैक्टर रामेश्वर पिता केला बलाई के नाम तथा खाता संख्या 223 में आ0नं0 225, 226, 226/1, 229, 233, 237, 238/1, 239/1 कीता 8 कुल रकबा 0.7587 हैक्टर रामेश्वर पिता केला 3/4 व सोनी पुत्री केला 1/4 बलाई सा0 देह संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इस प्रकार आराजीयात वर्तमान रिकॉर्ड में रामेश्वर पिता केला बलाई जो कि अप्रार्थी संख्या 01 है। रामेश्वर प्रार्थना पत्र में अंकित सजरे के अनुसार प्रार्थी संख्या 01 व 02 के दादा व प्रार्थी संख्या 03 के दादीया ससुर है। विपक्षी संख्या 03 सांवरलाल पिता रामेश्वर बलाई प्रार्थी सं0 01 व 02 के पिता व प्रार्थी सं0 3 के पति है।

8–इस प्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात केला पिता सूरजमल बलाई की खातेदारी की थी। केला के फौत होने पर आराजीयात वर्तमान रिकॉर्ड में रामेश्वर पिता केला जो कि केला जी का पुत्र है तथा सोनी पुत्री केला जो कि केलाजी की पुत्री है के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। अभी तक प्रार्थी संख्या 01 व 02 के दादा व पिता दोनों जीवित है तथा आराजीयात विरासत से विपक्षी सं0 3 सांवरलाल जो कि प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व 03 के पति के नाम पर दर्ज नहीं है । जैसाकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम प्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है तथा भूमि पिता के नाम दर्ज नहीं है। पिता के नाम विरासत से भूमि दर्ज होने पर ही प्रार्थीगण हक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण Commissioner of Welth Tax बनाम Chander Sen Etc.निर्णय दिनांक 16 जुलाई, 1986 AIR 1753, 1986 SCR(3) 254 में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की सूची में प्रथम श्रेणी का वारिस पुत्र को माना है। पुत्र का पुत्र प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने से दादा की सम्पत्ति में उनके जीवनकाल में हक प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

9–सुविधा सन्तुलनः– ग्राम बेरा की वादवर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी इनका ही है। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

10–अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नहीं किए जाने पर कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी जबकि जारी किए जाने पर विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतएवः–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सिद्ध कराने में असफल रहे हैं । अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12-7-.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा